सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 331 राँची ,बुधवार 25 आषाढ़ 1936 (श०)

16 जुलाई, 2014 (ई०)

### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

---

संकल्प

15 जुलाई, 2014

1. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर का पत्रांक- 97/स्था0, दिनांक 19 जनवरी, 2012
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का संकल्प सं0-9077, दिनांक 4 अगस्त, 2012
3. श्रीमती शीला किस्कू रपाज, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-248, दिनांक 3 अगस्त, 2013

**संख्या-5/आरोप-1-429/2014 का.-7136**--श्री मनोज कुमार, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक- 847/03, गृह जिला- गिरिडीह), तदेन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चाकुलिया, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक- 97/स्था0, दिनांक 19 जनवरी, 2012 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप प्रतिवेदित है।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:-

1. दिनांक 8 अक्टूबर, 2011 को उप विकास आयुक्त, पूर्वी, सिंहभूम, जमशेदपुर, कार्यपालक अभियंता एवं कनीय अभियंता के संयुक्त जाँच दल द्वारा चाकुलिया प्रखण्ड के मनरेगा योजना संख्या-41/2010-11 (भाटियाडीह से यथाखाल तक मिट्टी मारोम पथ निर्माण) योजना की जाँच की गई। प्राक्कलन के अनुसार इस योजना के पथ की लम्बाई 4920 फीट है, परन्तु स्थल जाँच के क्रम में यह पाया गया कि इस पथ की कुल लम्बाई 1220 फीट ही है एवं आगे नदी है। इस योजना में 1220 फीट पर ही मिट्टी का कार्य हुआ है एवं इसके विरूद्ध 1,79,170.00 रूपये की राशि का व्यय किया गया है। जबकि 1220 फीट के मिट्टी कार्य पर 74,844.00 रूपये की राशि का ही व्यय होना चाहिए था। इस प्रकार इस योजना में 1,04,326.00 रूपये की राशि का अधिक भुगतान किया गया है।

इस संबंध में श्री कुमार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली गई है। स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा इस योजना कार्य एवं योजना स्थल का व्यक्तिगत रूप से न तो कभी निरीक्षण किया गया और न ही पर्यवेक्षण किया गया। वरीय पदाधिकारियों के जाँच के दौरान अधिक भुगतान की गई राशि का मामला प्रकाश में आने पर मात्र आपके द्वारा इसकी वसूली करा ली गई है। एक प्रशासनिक एवं जिम्मेवार पद पर पदस्थापित होने के कारण आपका यह कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोरा लापरवाही तथा उदासीनता का द्योतक है।

2. दिनांक 8 अक्टूबर, 2011 को अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, पूर्वी, सिंहभूम, जमशेदपुर एवं सहायक अभियंता के संयुक्त जाँच दल द्वारा चाकुलिया प्रखण्ड के मनरेगा योजना "कालीबुड़ी गोप के घर से छातनीबाँध तक मिट्टी कार्य" योजना की जाँच की गई। स्थल जाँच के क्रम में पाया गया कि इस पथ का निर्माण 1 कि0मी0 के विरूद्ध सिर्फ 300 मीटर तक ही किया गया है और आगे सड़क निर्माण की कोई सम्भावना नहीं है। किये गये कार्य के विरूद्ध 64,944.00 रूपये की राशि का भुगतान होना चाहिए था, जबकि 1,30,016.00 रूपये की राशि का भुगतान इस योजना पर किया गया है। इस प्रकार इस योजना में 65,072.00 की रूपये की अधिक राशि का भुगतान किया गया है।

इस संबंध में श्री कुमार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली गई है। स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा इस योजना कार्य एवं योजना स्थल का व्यक्तिगत रूप से न तो कभी निरीक्षण किया गया और न ही पर्यवेक्षण किया गया। वरीय पदाधिकारियों के जाँच के दौरान अधिक भुगतान की गई राशि का मामला प्रकाश में आने पर मात्र आपके द्वारा इसकी वसूली करा ली गई है। एक प्रशासनिक एवं जिम्मेवार पद पर पदस्थापित होने के कारण आपका यह कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोरा लापरवाही तथा उदासीनता का द्योतक है।

3. श्री कुमार द्वारा दिनांक 6 दिसम्बर, 2011 से 15 दिसम्बर, 2011 तक शारीरिक अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए बिना अवाकश स्वीकृत कराये मुख्यालय से बाहर प्रस्थान कर गये है।

आपके अपने मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहने के कारण मनरेगया जैसे महत्वपूर्ण कार्य बाधित हुआ है। इस संबंध में पत्रांक-1541, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई थी, परन्तु आपने स्पष्टीकरण का उत्तर देना भी मुनासिब नहीं समझा एवं अब तक अनुपस्थित हैं। पूर्व में भी बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण आपसे स्पष्टीकरण की माँग की गई थी, जिसके जवाब में आपने यह आश्वस्त किया गया था कि भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होगी। परन्तु आपके द्वारा इस परम्परा को पुनः दोहराया गया है। एक प्रशासिनक पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापित होने के नाते बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय से बाहर चले जाने, स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा अनुशासनहीनता, घोर लापरवाही, उदासीनता तथा उद्दण्डता बरती जा रही है, जो आपके लिए शोभनीय है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्राप्त आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-9077, दिनांक 4 अगस्त, 2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु निर्णय लिया एवं श्रीमती शीला किस्कू रपाज, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्रीमती शीला किस्कू रपाज, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-248, दिनांक 3 अगस्त, 2013 द्वारा समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्राप्त आरोप तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त विषयगत मामले में राशि की वसूली हो जाने के कारण श्री कुमार को भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**प्रमोद कुमार तिवारी**,

सरकार के उप सचिव।

---

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 331–50 ।